न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 24 / 2021

प्रार्थी

1. राधेश्याम पुत्र जयशंकर जी अवस्थी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. प्रशान्त पुत्र राधेश्याम अवस्थी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, मण्डार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही
2. रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, जाति–पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

''निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की ओर से
(3) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

—: निर्णय :— **दिनांक 31 मई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1248 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, मण्ड़ार से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (ग्राम पंचायत, मण्ड़ार) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 (रमेशकुमार) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से निगरानी आवेदन का अलग अलग जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 (रमेशकुमार) के हक में अवैधानिक रुप से जारी किया है। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) की पूर्णतया अन्देखी कर तत्कालीन ग्राम पंचायत, मण्डार के सरंपच द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान पचांयती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत केवल पुश्तैनी कब्जे शुदा मकान के पट्टे जारी करने के ही प्रावधान है। उक्त नियम 157(1) के अन्तर्गत खाली भूमि (Open Land) का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 (रमेशकुमार) का उक्त पट्टा शुदा भूमि पर [illegible] रहा है एवं न ही मौके पर

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना मकान रहा है। ग्राम पंचायत, मण्डार ने अप्रार्थी संख्या–2 (रमेशकुमार) के पक्ष में उक्त पट्टा राजस्थान पचायंती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मात्र 200/– रुपये मे जारी किया है। राजस्थान पचांयती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत निर्मित मकान का ही पटटा जारी करने का प्रावधान विधि में है, जबकि उक्त पट्टा 1248 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 (रमेशकुमार) के हक में जारी किया गया है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर प्रार्थी राधेश्याम का कब्जा रहा है, जिससे तत्कालीन ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा दिनांक 07.6.1999 को प्रस्ताव संख्या 8 पारित कर प्रार्थी राधेश्याम के हक में रियायती दर से उक्त भूमि का पट्टा देने हेतु मिसल बनाकर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का कभी भी पुराना कब्जा नही था एवं नही है। अप्रार्थी रमेशकुमार साधन सम्पन्न व्यक्ति है। रमेशकुमार के पास ग्राम मण्डार में तीन बत्ती के पास बडा बंगला है तथा उसके पास आठ दुकानो का कोम्पलेक्स है। उक्त अप्रार्थी रमेशकुमार के पास चौक पोस्ट के निकट छः दुकाने है तथा जैन छतरी के पास पुश्तैनी मकान है। अप्रार्थी रमेशकुमार के पास 70 – 80 बीघा कृषि भूमि मय कुआं है। अप्रार्थी रमेशकुमार किसी भी रुप से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 (रमेशकुमार) ने ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के पदाधिकारियों से मिलावट कर विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा प्राप्त किया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि के दक्षिण दिशा में उत्तमचन्द जैन का बाडा (भूखण्ड) था, जिसे उत्तमचन्द जैन के पुत्र महेन्द्रकुमार ने करीब 2 – 3 वर्ष पूर्व कालु पुत्र सवा कलबी को विक्रय किया है। तत्कालीन ग्राम पचांयत, मण्डार ने प्राथी रमेशकुमार को महेन्द्रकुमार पुत्र उतमचन्दजी जैन के भूखण्ड के उत्तर दिशा में स्थित प्रश्नगत भूखण्ड का रियायती दर से पट्टा देने का प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 07.6.1999 को पारित किया है। जिससे यह भली भाति प्रकट है कि प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का 50–60 वर्ष पुराना कब्जा किसी भी रुप से नही रहा है। यह कि पट्टा जारी करते समय प्रश्नगत भुखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नही था एवं न ही उक्त भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का कब्जा आधिपत्य था। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, मण्डार को अप्रार्थी रमेशकुमार पुरोहित के हक में आलौच्य पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही था। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डार के तत्कालीन सरंपच व सचिव, प्रश्नगत पटटे में वर्णित भूमि को निलामी के जरिये विक्रय करते तो ग्राम पंचायत, मण्डार को भारी आय होती है, लेकिन ग्राम पचायत, मण्डार ने अप्रार्थी रमेशकुमार को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आलौच्य पटटा अवैध रुप से मात्र 200/– रुपये में जारी किया है। यह कि उक्त पट्टा जारी करने के पूर्व ग्राम पंचायत, मण्डार ने कोई प्रस्ताव पारित नही किया है। सरंपच, ग्राम पंचायत, मण्डार अकेले को प्रश्नगत पटटा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने तथाकथित प्रश्नगत पट्टे की 1248 वर्गफीट भूमि को दिनांक 11.12.2019 को अप्रार्थी रमेशकुमार को रुपये 200/– में बेचान की है, जिससे यह भली भाति प्रकट है कि ग्राम पंचायत, मण्डार के तत्कालीन सरपचं एव सचिव ने भारी वित्तीय अनियमिता कर पटटा जारी किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1248 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (रमेशकुमार) के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अप्रार्थी रमेशकुमार के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी राधेश्याम अध्यापक है तथा प्रार्थी प्रशान्त ज्योतिष का कार्य करता है। प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन में अंकित पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.20[illegible]धित भूमि में कोई हित निहित नहीं

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

है, जिससे निगरानीकर्ता को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार अप्रार्थी रमेशकुमार के पुराने आवास का पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन अप्रार्थी रमेशकुमार को उसके स्वामित्व की सम्पत्ति से वंचित करने के दुर्भावनापुर्ण आशय से प्रस्तुत की गई है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों की पालना करते हुए अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1248 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 को जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। उक्त पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 की भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना आवास व कब्जा होने से ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा बाद जांच विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी रमेशकुमार के पक्ष में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 को जारी करने के बाद विधि अनुसार पट्टे का पंजीयन करवाया गया है, जिससे पंजीकृत दस्तावेज को इस निगरानी आवेदन के जरिए खारिज नहीं किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृहों का विनियमितीकरण का प्रावधान है और उप नियम (1) के अनुसार जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किए जाने के इच्छुक है, वहाँ उन्हे 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए ऐसे पुराने गृह मय भूमि का इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पचास वर्षों से अधिक पुर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिए राशि रुपये 100/– एवं इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए राशि रुपये 200/– वसूल कर प्रारुप 23 क में पट्टा जारी करने का प्रावधान है। अप्रार्थी रमेशकुमार का आवासीय मकान 70 वर्षों के दौरान बना होने से राशि रूपये 200/– प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा उक्त नियम के तहत जारी किया गया है, जो विधि अनुसार है। यह कि प्रश्नगत भूमि के दक्षिण में उत्तमचंद जैन का बाडा होने और उसे महेन्द्रकुमार पुत्र उत्तमचंद जैन द्वारा दो–तीन वर्ष पुर्व कालु पुत्र सवा कलबी को विकय करने, तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी राधेश्याम को महेन्द्रकुमार के उत्तर दिशा में स्थित प्रश्नगत भूखण्ड का रियायती दर से पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित करने व प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना कब्जा नहीं होने का कथन गलत व मनगढंत है, बल्कि हकीकत यह है कि उक्त पट्टा संख्या 92 की भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना आवास बना होने से ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा की सम्पत्ति के तीन तरफ आवासीय मकान बने हुए है तथा चौथी तरफ आम रास्ता है, जिसमें दरवाजा है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का आवासीय मकान होने व अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना कब्जा होने से, बिजली कनेक्शन भी पुराना लिया हुआ होने से विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की भूमि अप्रार्थी रमेशकुमार के पुराने कब्जे की होकर उस पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना अवासीय मकान बना हुआ होने से इस भूमि को नीलामी के द्वारा विक्रय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है और न ही अप्रार्थी रमेशकुमार के पुराने आवासीय मकान की भूमि को नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के विद्वान अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत ग्राम पंचायत को पुराने गृहों को विनियमित कर पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त है तथा अप्रार्थी रमेशकुमार को

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

जिस भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया है उस भूखण्ड पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना कब्जा तथा मकान निर्माण होने की वजह से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया है तथा उक्त भूमि वर्तमान में खाली भूमि नहीं हैं तथा पट्टा जारी किये जाने से काफी समय पूर्व अप्रार्थी रमेशकुमार द्वारा उक्त भूखण्ड़ पर मकान का बना हुआ होने के कारण पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी रमेशकुमार को 200/— रूपये का शुल्क प्राप्त कर उक्त पट्टा जारी किया है क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत 200/— रूपये का शुल्क लेकर पुराने गृहों को विनियमित किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह तथ्य सही है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) में निर्मित मकान का पट्टा जारी करने का प्रावधान है एवं जिस भूखण्ड़ का पट्टा अप्रार्थी रमेशकुमार को जारी किया गया है उस भूखण्ड़ के 1248 वर्गफीट भाग पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना मकान बना हुआ था इस तथ्य की पुष्टि पंचायत द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी होती है तथा ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने इसी नाप का पट्टा जारी किया है जो किसी भी प्रकार से अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। यह कि जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी रमेशकुमार को जारी किया है उस भूखण्ड को रियायती दर पर प्रार्थी को दिये जाने का कभी भी ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव नहीं लिया, न ही अप्रार्थी रमेशकुमार के कब्जे शुदा भूखण्ड का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को करने का ग्राम पंचायत को हक अधिकार हैं लेकिन दिनांक 07.6.1999 को प्रस्ताव संख्या 8 में यह तथ्य अवश्य अंकित किया था कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत मण्डार की आबादी क्षेत्र में रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन किया जाये इस हेतु कार्यवाही की जाये, परन्तु उक्त दिनांक 07.6.1999 को ग्राम पंचायत का कोरम पूर्ण नहीं होने से उक्त बैठक को स्थगित किया गया था। ऐसी स्थिति में बिना पूर्ण कोरम के लिये गये प्रस्ताव के आधार पर प्रार्थी को ग्राम पंचायत के विरूद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई कारण व हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व पट्टा प्राप्तकर्ता की आर्थिक स्थिति के बारे में जाँच पड़ताल करने का कोई प्रावधान नहीं है एवं न ही किसी व्यक्ति के साधन सम्पन्न होने मात्र से वह व्यक्ति नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने के लिए अयोग्य होता है क्योंकि नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ही संबंधित भूखण्ड में पट्टा प्राप्तकर्ता के अधिकार समाहित होते हैं। ग्राम पंचायत केवल उन अधिकारो को विनियमित करती है। यह कि ग्राम पंचायत को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि उत्तमचंदजी जैन का बाड़ा किस स्थान पर था और कब उनके द्वारा उसका विक्रय किया गया है, लेकिन जिस भूखण्ड़ का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी रमेशकुमार को जारी किया है उस भूखण्ड के उत्तर दिशा में कभी भी उत्तमचंदजी जैन का बाड़ा या कब्जा नहीं रहा है बल्कि उक्त स्थानों पर कलबी जाति के लोगों के पुराने मकान बने हुए हैं। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी रमेशकुमार द्वारा दिनांक 02.11.2017 को ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में उक्त नियम 157 के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.01.2019 की पंचायत बैठक में प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया उसके बाद उपस्थित सदस्यों द्वारा नियम 146 की पालना में निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया एवं इस मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें अप्रार्थी रमेशकुमार का मौके पर पुराना कब्जा व मकान होने का उल्लेख किया गया एवं इसका पट्टा अप्रार्थी रमेशकुमार के नाम जारी करने में कोई समस्या नहीं होने का उल्लेख किया गया तथा उसी समय अप्रार्थी रमेशकुमार के कब्जे के संबंध में जांच करने के

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

लिए स्वतंत्र गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। इस मौका रिपोर्ट को दिनांक 05.2.2019 की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी रमेशकुमार को पट्टा जारी करने का अस्थायी निर्णय लिया गया एवं नियम 148 के तहत आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.02.2019 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं उक्त नोटिस को आम चौराहे, ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड व प्रस्तावित पट्टा भूमि पर गवाहान की मौजूदगी में चस्पा करवाया गया। आपत्ति नोटिस जारी करने के बाद अन्दर मियाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने से बैठक दिनांक 20.6.2019 के प्रस्ताव संख्या 4 के जरिये अप्रार्थी रमेशकुमार के पक्ष में उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय किया गया एवं उसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.12.2019 को पट्टा संख्या 92 जारी किया गया। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि प्रार्थीगण निगरानीकर्ता ने निगरानी आवेदन में यह तथ्य अंकित किया है कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा था तथा वर्ष 1999 में प्रार्थी को आवंटन करने हेतु प्रस्ताव लिया गया था परन्तु निगरानी आवेदन में प्रार्थी द्वारा यह तथ्य भी अंकित किया है कि ग्राम पंचायत को इस भूमि की निलामी करनी थी। इस प्रकार, प्रार्थी स्वयं द्वारा केवल अप्रार्थीगण पर अनुचित दबाव बनाने की बदनियति से गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो काबिले खारिज है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1248 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 को जारी किया गया है। ''राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।''

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ''राजस्थान पचांयती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत केवल पुश्तैनी कब्जे शुदा मकान के पट्टे जारी करने के ही प्रावधान है। उक्त नियम 157(1) के अन्तर्गत खाली भूमि (Open Land) का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 (रमेशकुमार) का उक्त पट्टा शुदा भूमि पर कभी भी पुराना कब्जा नही रहा है एवं न ही मौके पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना मकान रहा है।'' प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि ''प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर प्रार्थी राधेश्याम का कब्जा रहा है, जिससे तत्कालीन ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा दिनांक 07.6.1999 को प्रस्ताव संख्या 8 पारित कर प्रार्थी राधेश्याम के हक में रियायती दर से उक्त भूमि का पट्टा देने हेतु मिसल बनाकर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।'' जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (रमेशकुमार) का यह कथन है कि ''ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों की पालना करते हुए अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1248 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 को जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। उक्त पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 की भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार का पुराना आवास व कब्जा होने से ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा बाद जांच विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है।''

प्रार्थीगण निगरानीकार ने निगरानी आवेदन के साथ ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 07.6.1999 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 07.6.1999 के प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा प्रार्थी राधेश्याम पुत्र जयशंकर जी अवस्थी को रियायती दर से पट्टा देने हेतु मिसल बनाकर नियमानुसार कार्यवाही करने का प्रस्ताव लिया गया है, लेकिन इस प्रस्ताव में प्रार्थी राधेश्याम पुत्र जयशंकर जी अवस्थी को प्रश्नगत पट्टा संख्या 92 से संबंधित भूमि का ही रियायती दर पर पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया हो, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख किया हुआ नही है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत इस नियम में वर्णित श्रेणी के ऐसे पात्र व्यक्ति, जिनके पास आवासीय गृह या आवासीय स्थल उपलब्ध नही हो, को ही रियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी राधेश्याम पुत्र जयशंकर जी अवस्थी के पक्ष में रियायती दर पर पट्टा देने का प्रस्ताव लिये जाने के आधार पर ही प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टा संख्या 92 की भूमि में किसी प्रकार के कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है, क्योंकि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा प्रार्थी राधेश्याम पुत्र जयशंकर जी अवस्थी को रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन नही किया गया है। चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में प्रार्थीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (रमेशकुमार) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 92 दिनांक 11.12.2019 की भूमि पर प्रार्थी राधेश्याम पुराना कब्जा रहा हो। प्रार्थीगण ने ऐसी भी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार का पुराना मकान बना हुआ नही हो। प्रार्थीगण ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार

.....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार को खुली भूमि (open land) का पट्टा जारी किया गया हो। जबकि अप्रार्थीगण के कथनानुसार प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी रमेशकुमार पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार का पुराना मकान बना हुआ है। इस प्रकार, प्रार्थीगण निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31 मई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:50:28 IST
Reason: SelfAttested